E-MAIL

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी/3-11/1/3/2010, भोपाल, दिनांक 07 सितम्बर, 2010.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश.

विषय :- आय प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी निर्देश।

---000---

विभिन्न प्रयोजनों के लिए आय प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के संबंध में वर्तमान में स्पष्ट निर्देश प्रभावशील नहीं हैं। राज्य शासन एतद् द्वारा व्यक्ति विशेष/परिवार की आय संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी करता है :-

(1) **आय प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी** :- संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को उनके प्रभार क्षेत्र के अन्तर्गत आय प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(2) **आवेदन-पत्र** :- आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक निर्धारित संलग्न प्रपत्र-एक में अपना आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र-दो में वर्णित प्रारूप में शपथ-पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करेगा। आवेदन का पंजीयन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-2 क्रमांक-1 की कण्डिका-1 के परिशिष्ट-एक के अन्तर्गत विविध सामान्य राजस्व मामले (बी-121) में होगा। प्रकरण में मूल आवेदन एवं मूल शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न रखा जाएगा।

(3) **आय प्रमाण-पत्र जारी करने की समय-सीमा** :- स्वयंपूर्ण आवेदन के साथ संलग्न स्पष्ट एवं स्वयंपूर्ण शपथ-पत्र प्रस्तुत होने पर, बिना किसी अन्य प्रकार की जाँच किए केवल शपथ-पत्र के आधार पर आय प्रमाण-पत्र सामान्यतः उसी दिन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र-तीन में जारी किया जाएगा। आय प्रमाण-पत्र जारी करने की अधिकतम समय-सीमा तीन कार्य दिवस होगी।

निरन्तर..........

3. **आय प्रमाण–पत्र के आवेदन एवं शपथ–पत्र को सार्वजनिक किया जाना :–**
द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं उसके साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र की एक प्रति संबंधित प्राधिकृत अधि. कार्यालय के नोटिसबोर्ड पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए चस्पा की जावेगी।

4. **आय प्रमाण–पत्र का निरस्तीकरण :–**

आय प्रमाण–पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य/संलग्न अभिलेख प्रथम दृष्ट्या आवेदन/ शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों से अलग हटकर आय के अन्य स्रोतों के बारे में जानकारी दर्शित करते हैं तो आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी आय प्रमाण–पत्र/आपत्ति निरस्त कर सकेगा।

(2) सुनवाई/जॉच पश्चात् शपथ–पत्र में वर्णित तथ्य असत्य पाए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी असत्य शपथ–पत्र प्रस्तुति के परिणाम स्वरूप शपथकर्ता के विरुद्ध अपेक्षित विधिक कार्यवाही करेगा।

(6) **अपील** :– प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपर्युक्त कण्डिका–5(1) में पारित आदेश के विरुद्ध मध्यप्रदेश लोक सेवाओं का प्रदाय अधिनियम 2010 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम अनुसार निर्धारित समयावधि में अपील/द्वितीय अपील/पुनरीक्षण आदि किया जा सकेगा।

(7) **आय प्रमाण–पत्र का पुनरीक्षण** :– आय प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से सामान्यतः तीन वर्ष तक वैध रहेगा। आवेदक के पक्ष में जारी आय प्रमाण–पत्र में वर्णित आय में कमी/बढ़ोत्तरी होने की स्थिति में इस आशय का आवेदन पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं परिपत्र–दो में वर्णित शपथ–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी आवेदक के पक्ष में पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र निरस्त करते हुए नवीन आय प्रमाण–पत्र जारी कर सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपालन के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

9.2 (18)

पृ.क्रमांक सी-3-11/1/3/2010 भोपाल, दिनांक 07 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय ,मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव,लोकायुक्त,मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव,मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्य मंत्री,मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश,भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक ,मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्य प्रदेश,भोपाल
10. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,मध्य प्रदेश,भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर/जबलपुर ।
13. महालेखाकार,मध्य प्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव/अवर सचिव,स्थापना/अधीक्षण /अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश,मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव,मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त ज़नसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल।
19. अध्यक्ष,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।

7/9

(आर.बी. वैष्णव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

आय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

(1)

प्रति,

33

नायब तहसीलदार / तहसीलदार,

....

....

विषयः– आय प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत्

महोदय महोदया

मुझे आय प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है। मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है–

1. मेरा नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. निवास का पूरा पता ....
....
....
4. संलग्न शपथ–पत्र अनुसार समस्त स्त्रोतों से मेरी / मेरे परिवार* की वार्षिक आय ....

मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान / जानकारी है कि शपथ–पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।

हस्ताक्षर –

आवेदक का नाम ( )

(*परिवार से आशय पति / पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं।)

कार्यालय नायब तहसीलदार / तहसीलदार टप्पा / तहसील..........................
जिला..

पावती

श्री / श्रीमती .... के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज दिनांक.............................. को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्त्ता
मय सील

-84-

(5)

शपथ–पत्र

मैं .... आत्मज श्री ....
आयु.................... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि –

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूं।

*2. मेरे नाम से ग्राम .... में .... हेक्टेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रूपये .... (शब्दों में).. .... की वार्षिक आय होती है।

*3. मेरा व्यवसाय.. है, इससे मुझे वार्षिक आय रूपये.................. .... (शब्दों में).. होती है।

*4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रूपये............................ (शब्दों में)........................ .... है।

*5. अन्य स्त्रोतो से मेरी वार्षिक आय रूपये............................ (शब्दों में)...................... .... है।

*6. मेरे परिवार के सदस्यों की कुल वार्षिक आय रूपये.. (शब्दों में) .... है।

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं.. आत्मज श्री ....
आयु.................. वर्ष, निवासी.. सत्यापन करता/करती हूं कि शपथपत्र की कण्डिका 1*/2*/3*/4*/5*/6* में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है।

सत्यापन आज दिनांक .... को स्थान .... में किया गया।

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

* जो लागू न हो उसे काट दें।

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील................................ जिला................................

प्र.क्र. /बी–121/वर्ष......... दिनांक................................

आय प्रमाण–पत्र

(जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक मान्य)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु.................................. पिता/पति .... निवासी.. तहसील.................. जिला .... मध्यप्रदेश, की/के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये .... (शब्दों में..) है।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर जारी)

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.......................... जिला ....

(7)

लोक शिक्षण संचालनाय
मध्य प्रदेश

क्रमांक/समन्वय/डी/45/2009–2010/2418 भोपाल,दिनांक 28/ 5/2010
प्रतिलिपिः–

1. सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर,इन्दौर,भोपाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी विधि प्रकोष्ठ ग्वालियर ।
7. प्राचार्य,शासकीय तात्याटोपे शिक्षा महाविद्यालय,शिवपुरी।
8. योग विभागाध्यक्ष, योग प्रशिक्षण केन्द्र ,1464 टी.टी.नगर,भोपाल।
9. अधीक्षक वैद्यशाला उज्जैन मध्यप्रदेश ।
10. मुख्य पुस्तकालय इन्दौर ,भोपाल रीवा एंव ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
11. प्रादेशिक सचिव भारत स्कउट एंव गाइड एसोसिएशन भोपाल ।
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश ।
13. समस्त अधिकारी अधीक्षक ,सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ एंव आवश्क कार्यवाही हेतु अगेषित।

अपर संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

C:\Documents and Settings\Acer OEM User\My Documents\Abha madam\Abha madam.doc